(लोक सभा द्वारा 09.08.2018 को पारित रूप में)

**2018 का विधेयक संख्यांक 145-सी**

[दि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिंदी अनुवाद]

# संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

**संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए**

**विधेयक**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 7 का संशोधन ।

2017 का 14

**2.** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के प्रदाय के संबंध में माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने का दायी है ।"।

धारा 9 का संशोधन ।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 9 के खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल तभी किया जाएगा, जब केंद्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का बकाया एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है ;";

धारा 9क और धारा 9ख का अंतःस्थापन ।

**4.** मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग ।

"9क. धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी, संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए केवल तभी किया जाएगा जब ऐसे संदाय के लिए एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले उपयोग कर लिया गया हो ।

इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम ।

9ख. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 9 के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे किसी कर के संदाय के लिए, यथास्थिति, एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम और रीति विहित कर सकेगी ।"।

MGIPMRND—1600LS(CRC)—9.8.2018.